पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प 784RB में प्रस्तुत हुई। वादीगण में से वादी सं० ② ④ ⑤ ⑬ उपस्थित। प्रतिवादी सं० 2 उपस्थित। वादीगण ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादी ने बताया कि उसका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। अनावश्यक से पक्षकार बनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। अन्तर्गत धारा 88 एवं 183 RTA का वादपत्र रिकार्डेड खातेदार ही ला सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण खातेदार दर्ज नहीं होने के वादपत्र में वांछित अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमें आम सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़
कैम्प 784RB

(हस्ताक्षर)
प्रतिवादी
15-5-18

L.T.
चेतनपाल

L.T.
लीलाधर
मंगलाराम

L.T.
चेतराम